मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20, नियम 6–7, जाबा दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर टिब्बी

पीठासीन अधिकारी :– स्वाति गुप्ता आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 019/2024

1. नितिन पुत्र बृजलाल जाति जाट निवासी डबलीकलां तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
2. लीलो पत्नी बृजलाल जाति जाट निवासी डबलीकलां तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

– – वादी

बनाम

1. बृजलाल पुत्र सहीराम जाति जाट निवासी डबलीकलां तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
2. सुमन पुत्री बृजलाल पत्नी बलवीर जाति जाट निवासी खाई शेरगढ तहसील व जिला सिरसा।
3. पूनम पुत्री बृजलाल पत्नी मुकेश कुमार जाति जाट निवासी हंजीरा तहसील चौपटा जिला सिरसा।
4. प्रियकां पुत्री बृजलाल पत्नी राकेश कुमार जाति जाट निवासी हजीरां तहसील चौपटा जिला सिरसा।
5. रचना पुत्री बृजलाल पत्नी विकास कुमार जाति जाट निवसी खाई शेरगढ तहसील व जिला सिरसा।
6. निशा पुत्री बृजलाल पत्नी मनदीप कुमार जाति जाट निवासी खाई शेरगढ तहसील व जिला सिरसा।

– –प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.ए. बाबत घोषणा

निर्णय

दिनांक :– 20.2.2024

वादी की ओर से श्री विजय बैनीवाल अधिवक्ता की व प्रतिवादीगण की ओर से श्री नरेन्द्रपाल वर्मा की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 20.2.2024 को स्वाति गुप्ता आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर टिब्बी के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होनें पर आदेश किया जाकर अन्तिम डिक्री की जाती है, कि वादी के विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन करने ... व प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन के बाद वाद पत्र स्वीकार ... राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 के अन्तर्गत वाद पत्र में वर्णित प्रतिवादी संख्या 1 बृजलाल के ... की आराजी चक नम्बर 14 डी.बी.एल. के जमाबन्दी संवत 2075 ता 78 के खाता संख्या 63/67 में कुल 3.1640 हैक्टर कमाण्ड मय गै0मु0 आराजी में से वादीगण संख्या 1 व 2

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर टिब्बी

Signature Not Verified
Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2024.05.08 11:11:40 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

प्रत्येक 1/3–1/3 हिस्सा की आराजी के खातेदार काश्तकार है व इसी अनुसार रिकॉर्ड में अंकन कर चक नंम्बर 14 डी.बी.एल. के खाता संख्या 63/67 में से प्रतिवादी संख्या 1 बृजलाल का हिस्सा कम किये जाने के आदेश दिये जाते है।

तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि समस्त प्रकार से भार मुक्त होनें की स्थिति में उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर लगान कायम किया जावे। भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेगें। यह डिक्री आज दिनांक 20.3.2024 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई

मुहर

(स्वाति गुप्ता)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
टिब्बी

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
वाद पत्र के लिये स्टाम्प	—	शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प	—
शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प	—	अर्जी के लिये स्टाम्प	—
प्रदर्शो के लिये स्टाम्प	—	प्लीडर की फीस	—
रूपये पर प्लीडर की फीस	—	साक्षियों के लिये निर्वाह भत्ता	—
साक्षियों के लिये निर्वाह भत्ता	—	आदेशिका की तामिल	—
कमिश्नर की फीस	—	कमिश्नर की फीस	—
आदेशिका की तामिल	—		
योग	—	योग	—

Signature Not Verified

Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2024.05.08 11:11:40 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner